# न्यायालय राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड़, देहरादून।

निगरानी संख्या– 46/2014–15 अन्तर्गत धारा–219 भू0रा0अधि0

नरेश पाल पुत्र उदयराम, निवासी–ग्राम व डाकखाना, शेरपुर खेलमऊ, तहसील रूड़की, जिला हरिद्वार।

बनाम

1. संजय कुमार, 2. संदीप कुमार, 3. अवनीश कुमार, पुत्र खड़कसिंह, निवासी–ग्राम व डाकखाना, शेरपुर खेलमऊ, तहसील रूड़की, जिला हरिद्वार।

4. अपर आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, 5. उत्तराखण्ड सरकार।

उपस्थित : श्री पी0एस0जंगपांगी, सदस्य(न्यायिक)।

अधिवक्ता निगरानीकर्ता : श्री तेजपाल सिंह।

अधिवक्ता प्रतिपक्षी : श्री अरूण सक्सेना।

## निर्णय

यह निगरानी निगरानीकर्ता उपरोक्त द्वारा विद्वान अपर आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी, शिविर, देहरादून के समक्ष प्रस्तुत निगरानी संख्या–2/2012–13 अन्तर्गत धारा–219 भू0रा0अधि0 श्री संजय कुमार आदि बनाम नरेश पाल आदि में पारित आदेश दिनांक 27–07–2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

निगरानी के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैः–

मौजा साढौला, परगना मंगलौर, तहसील रूड़की, जनपद हरिद्वार के गाटा संख्या–97 पर राजबाला पत्नी नरेश पाल की मृत्यु के उपरान्त राजस्व निरीक्षक, इकबालपुर ने आदेश दिनांक 01–02–2008 से प क–11 क में नरेश पाल का नाम बतौर वारिस (पति) दर्ज कर दिया। इस आदेश के विरूद्ध उत्तरदाता संख्या–1 से 3 ने एक ''रैस्टोरेशन प्रार्थना पत्र'' अर्थात् नामान्तरण प्रार्थना पत्र दिनांक 08–02–2008 को तहसीलदार, रूड़की के समक्ष इस आशय से प्रस्तुत किया कि श्रीमती बाला उर्फ राजबाला खड़कसिंह की पत्नी है तथा प्रार्थीगण उसके पुत्र हैं, अतः प क–11 क के आदेश दिनांक 01–02–2008 से अंकित नरेश पाल का नाम निरस्त कर सम्बन्धित खाते में प्रार्थीगण के नाम बजरिये विरासत दर्ज किया जाए। इस प्रार्थना पत्र पर उभयपक्षों को सुनने के उपरान्त तहसीलदार, रूड़की द्वारा यह मत व्यक्त करते हुए कि नरेश पाल द्वारा राजबाला का मृत्यु प्रमाण–पत्र व बैनामा दाखिल किया है जिसमें राजबाला पत्नी नरेश अंकित है, संजय कुमार द्वारा दाखिल परिवार रजिस्टर में खड़कसिंह की पत्नी बाला अंकित है एवं कि राजस्व निरीक्षक, इकबालपुर द्वारा प क–11 क आदेश पारित

करने से पूर्व रैस्टोरेशनकर्ताओं का शपथ पत्र लिया गया है जिसमें उल्लेख है कि उन्हें राजबाला की विरासत दर्ज करने में कोई आपत्ति नही है सिद्ध करते है कि राजबाला नरेश की पत्नी है, के आधार पर आदेश दिनांक 29–01–2009 से रैस्टोरेशन प्रार्थना पत्र/नामान्तरण प्रार्थना पत्र निरस्त कर प क–11 के आदेश दिनांक 01–02–2008 को यथावत रखा।

उक्त आदेश दिनांक 29–09–2001 के विरूद्ध उत्तरदाता संख्या–1 से 3 ने सहायक कलेक्टर, प्रथम श्रेणी/उप जिलाधिकारी, रूड़की के समक्ष धारा–210 भू0रा0अधि0 के अन्तर्गत दिनांक 04–02–2009 को अपील प्रस्तुत की जो उसी दिन दर्ज रजिस्टर कर प्रतिपक्षी को नोटिस जारी करने के आदेश के साथ दिनांक 19–02–2009 के लिए नियत की गई लेकिन इससे पूर्व उत्तरदातागण की ओर से दिनांक 02–02–2009 को पुनः एक नामान्तरण प्रार्थना पत्र तहसीलदार, रूड़की के न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया गया। इस प्रकार आदेश दिनांक 29–01–2009 के विरूद्ध अपील एवं द्वितीय नामान्तरण प्रार्थना पत्र पर वाद कार्यवाही समानान्तर विचाराधीन रही।

द्वितीय नामान्तरण प्रार्थना पत्र दिनांक 02–02–2009 को विद्वान तहसीलदार, रूड़की ने यह कहते हुए स्वीकार किया कि नरेश पाल की कोई शादी नही हुई थी एवं श्रीमती बाला (राजबाला) की शादी खड़कसिंह से हुई थी व मृतका बाला उर्फ राजबाला वादीगण की माता थी। तदनुसार नामान्तरण उत्तरदाता संख्या–1 से 3 के नाम पर स्वीकार कर आदेश दिनांक 10–12–2009 पारित किया गया। यह उल्लेखनीय है कि इस निर्णय/आदेश में पूर्व में पारित आदेश दिनांक 29–01–2009 का कोई उल्लेख नही किया न ही उसे अपास्त कर यह आदेश पारित किया गया। सहायक कलेक्टर, प्रथम श्रेणी, रूड़की के न्यायालय में विचाराधीन अपील संख्या–18/2010 संजय कुमार आदि बनाम नरेश पाल, अन्तर्गत धारा–210 भू0रा0अधि0 को दिनांक 01–05–2012 को उत्तरदाता संख्या–1 से 3 ने बल न देने के आधार पर not pressed कर दिया।

द्वितीय नामान्तरण प्रार्थना पत्र दिनांक 02–02–2009 पर विद्वान तहसीलदार, रूड़की द्वारा पारित आदेश दिनांक 10–12–2009 के विरूद्ध निगरानीकर्ता/प्रतिवादी द्वारा सहायक कलेक्टर, प्रथम श्रेणी/उप जिलाधिकारी, रूड़की के समक्ष अपील अन्तर्गत धारा –210 भू0रा0अधि0 प्रस्तुत की गई। निगरानीकर्ता/अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत हरियाणा पंचायती राज विभाग, पंचकूला, पिंजौर के वार्ड नम्बर–1 में क्रंमाक 82 पर राजबाला पत्नी नरेश अंकित होने, राजबाला की मृत्यु के उपरान्त मृत्यु प्रमाण–पत्र जो राजकीय मेडिकल कालेज एण्ड हास्पिटल सैक्टर 32 चंडीगढ़ द्वारा जारी किया गया है में भी राजबाला पत्नी नरेश पाल अंकित होने एवं विक्रय पत्र दिनांक 02–02–1991 एवं मूल खातेदार के रूप में राजबाला पत्नी नरेश पाल होने के आधार पर विद्वान सहायक कलेक्टर, रूड़की ने निगरानीकर्ता/अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर आदेश दिनांक 09–10–2012 से तहसीलदार, रूड़की के आदेश दिनांक 10–12–2009 निरस्त कर दिया।

आदेश दिनांक 09–10–2012 के विरूद्ध उत्तरदाता/प्रतिवादी संख्या–1 से 3 की ओर से अपर आयुक्त, गढ़वाल, पौड़ी, कैम्प देहरादून के न्यायालय में निगरानी प्रस्तुत की गई जिसे विद्वान अपर आयुक्त ने न्यायालय सिविल जज, कनिष्ठ प्रभाग रूड़की के आदेश दिनांक 25–11–2004 जो कि वाद संख्या–15/2013 संजय आदि बनाम नरेश पाल आदि में पारित किया गया है तथा जिससे बैनामा दिनांक 20–10–2012 निरस्त किया गया है को आधार मानकर निगरानी स्वीकार की गई तथा आदेश दिनांक 27–07–2015 पारित कर सहायक कलेक्टर, प्रथम श्रेणी, रूड़की का अपीलीय आदेश दिनांक 10–12–2009 निरस्त किया गया।

उक्त आदेश दिनांक 27–07–2015 के विरूद्ध वर्तमान निगरानी प्रस्तुत की गई है।

मैंने उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना एवं उपलब्ध अभिलेखों का सम्यक अध्ययन किया।

निगरानीकर्ता के विद्वान अधिवक्ता के तर्क सम्बन्धी मुख्य कथन ये है कि नामान्तरण आदेश दिनांक 10–12–2009 के विरूद्ध परगना अधिकारी, रूड़की के समक्ष प्रस्तुत अपील के सम्बन्ध विद्वान अपर आयुक्त ने आक्षेपित आदेश में कोई निष्कर्ष अंकित नही किया है, कि खड़कसिंह की पत्नी का नाम बाला था जो राजबाला से पहले मर गई थी, कि राजबाला निगरानीकर्ता की ब्याहता पत्नी थी जिसे विवादित भूमि वर्ष 1991 में स्वयं निगरानीकर्ता ने विक्रीत की थी, कि निगरानीकर्ता एवं राजबाला पति पत्नी के रूप में पंचकूला एवं हिमाचल में रहे जिससे सम्बन्धी अभिलेखीय साक्ष्य यथा मतदाता सूची, बैंक खाता, मृत्यु प्रमाण पत्र आदि का कोई संज्ञान विद्वान अपर आयुक्त द्वारा नही लिया गया है, कि विद्वान अपर आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत शपथ पत्र पर किये गये हस्ताक्षर संदिग्ध है, कि वर्ष 1991 से 2008 तक उत्तरदातागण शांत रहे एवं निगरानीकर्ता की पत्नी राजबाला की मृत्यु के उपरान्त ही वे सक्रिय हुए, कि नामान्तरण विरासत न अंकित होने के लिए उत्तरदातागण द्वारा अनापत्ति सम्बन्धी शपथ पत्र दिये गये, कि वे विद्वान सिविल जज द्वारा निर्णीत एवं आज्ञप्त वाद के विरूद्ध विद्वान अपर सत्र न्यायाधीश, रूड़की के समक्ष अपील योजित की गई है जिसमें अन्तरिम आदेश पारित कर आज्ञप्ति का निष्पादन रोका गया है एवं कि प्रश्नगत विक्रयपत्र निरस्त होने पर भी विवादित भूमि में निगरानीकर्ता के नाम का ही अंकन बना रहेगा।

दूसरी ओर उत्तरदाता संख्या–1 से 3 के विद्वान अधिवक्ता का तर्क था कि विद्वान सिविल जज, रूड़की के लम्बित एवं निस्तारित विक्रय पत्र निरस्तीकरण वाद में विवाद्यकों के निस्तारण से सिद्ध हो चुका है कि बाला उर्फ राजबाला खड़कसिंह की पत्नी व उत्तरदाता संख्या–1 से 3 की मां थी एवं नरेश पाल अविवाहित है, कि नामान्तरण की सरसरी कार्यवाही हेतु सिविल न्यायालय का उक्त विनिश्चयन अपीलीय न्यायालयों द्वारा उल्टे अथवा

परिवर्तित किये जाने तक मान्य हैं, अतः आक्षेपित आदेश में हस्तक्षेप की आवश्यकता नही है क्योंकि उसके पारण में कोई अनियमितता अथवा अवैधानिकता नही हुई है।

निगरानी के साथ विद्वान सिविल जज के द्वारा वाद संख्या–15/2013 संजय आदि बनाम नरेश पाल आदि में पारित निर्णय एवं आज्ञप्ति दिनांक 25–11–2014 के विरूद्ध प्रथम अपर जनपद न्यायाधीश, रूड़की जनपद हरिद्वार के समक्ष प्रस्तुत अपील संख्या–39/2014 नरेश पाल बनाम संजय आदि की प्रतिलिपि एवं दिनांक 23–04–2015 को पारित अन्तरिम/स्थगन आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रस्तुत की गई है जिसके अनुसार उक्त वाद में पारित आज्ञप्ति के निष्पादन को रोका गया है एवं विवादित भूमि के सम्बन्ध में पक्षकारों द्वारा प्रतिबद्धता दी गई है कि यथास्थिति बनाये रखेगें एवं किसी तृतीय पक्ष का हित नही सृजित करेगें।

एक अत्यन्त महत्वपूर्ण विधिक बिन्दु आलौच्य नामान्तरण प्रकरण में यह उभर कर आया है कि उत्तरदातागण संख्या– 1 से 3 द्वारा प क–11 क के अन्तर्गत दिनांक 01–02–2008 को विरासत निगरानीकर्ता के पक्ष में अंकित हो जाने के उपरान्त तहसीलदार, रूड़की के समक्ष प्रस्तुत नामान्तरण प्रार्थना पत्र (रैस्टोरेशन प्रार्थना पत्र) का दोनो पक्षों को सुनकर तहसीलदार, रूड़की ने दिनांक 29–01–2009 को इस आशय से निरस्त किया है कि " नरेश पाल द्वारा राजबाला का मृत्यु प्रमाण–पत्र व बैनामा दाखिल किया है जिसमें राजबाला पत्नी नरेश अंकित है एवं संजय कुमार द्वारा दाखिल परिवार रजिस्टर में भी खड़कसिंह की पत्नी बाला अंकित है, के आधार पर राजस्व निरीक्षक, इकबालपुर द्वारा प क–11 क आदेश पारित करने से पूर्व रैस्टोरेशनकर्ताओं का शपथ पत्र लिया गया है जिसमें उल्लेख है कि उन्हें राजबाला की विरासत दर्ज करने में कोई आपत्ति नही है जो यह सिद्ध करता है कि राजबाला नरेश की पत्नी है" एवं जिसके विरूद्ध उनके द्वारा परगनाधिकारी, रूड़की के समक्ष धारा–210 भू0रा0अधि0 की अपील भी दायर की गई के रहते क्या द्वितीय नामान्तरण प्रार्थना पत्र दिनांक 02–02–2009 ग्राहय था? इस बिन्दु पर न तो विचारण न्यायालय, न प्रथम अपीलीय न्यायालय अथवा निगरानी न्यायालय ने कोई समुचित न्यायिक संज्ञान लिया है न ही उसपर कोई निष्कर्ष अंकित किया है। प्रश्न यह उठता है कि क्या एक नामान्तरण प्रार्थना पत्र के निस्तारित होने के उपरान्त विधितः दूसरा नामान्तरण प्रार्थना पत्र ग्राह्य है? यदि ऐसा है तो किसी अपील अथवा निगरानी की आवश्यकता कंहा रह जायेगी क्योंकि क्षुब्ध पक्षकार प्रत्येक बार असफल होने की स्थिति में प्रथम वाद मंच/न्यायालय में ही बार–बार प्रार्थना पत्र देता रहेगा? कदाचित विधिक स्थिति ऐसी नही है परन्तु अधीनस्थ न्यायालयों को इसका संज्ञान लेना चाहिए था जो कि उनके द्वारा नही लिया गया है।

विद्वान अपर आयुक्त ने अपने समक्ष प्रस्तुत निगरानी में विद्वान सिविल जज, रूड़की के पूर्व में संदर्भित निर्णय/आज्ञप्ति में अवधारित विनिश्चयन पर पूर्णतः विश्वास व्यक्त किया है एवं उक्त दीवानी वाद को अंतिम मानकर अपीलीय आदेश को अपास्त किया है, यहां तक कि अपील आदेश का विधिक आंकलन भी नही किया है, जबकि उक्त निर्णय/आज्ञप्ति

के विरूद्ध प्रथम जनपद न्यायाधीश रूड़की के समक्ष अपील लम्बित है एवं इस सम्बन्ध में यथोक्त एक अन्तरिम आदेश भी पारित हुआ है। ऐसे में यह उपयुक्त होगा कि विद्वान अपर आयुक्त, गढ़वाल ही उक्त अपील का आलोच्य नामान्तरण प्रकरण में प्रभाव विश्लेषित एवं विवेचित करें। क्योंकि नामान्तरण की सरसरी कार्यवाही क्या एक लम्बी अवधि में अंतिम होने वाले दीवानी वाद में विचारण न्यायालय के विनिश्चयन पर विश्वास व्यक्त करते हुए दीर्घकाल तक लम्बित रहेगी अथवा सक्षम राजस्व न्यायालयों द्वारा उनके समक्ष प्रस्तुत विधिमान्य सामग्री का स्वयं विश्लेषण एवं विवेचन कर नामान्तरण की कार्यवाही अंतिम की जायेगी? का विनिश्चयन आवश्यक है। यह स्पष्ट किया जाना आवश्यक है कि नामान्तरण का प्रकरण अनावश्यक रूप से लम्बित रखकर – भले ही ऐसा किसी प्रचलित नियमित वाद के आधार पर किया जा रहा हो – नामान्तरण के सम्बन्ध में शून्यता (vacuum) की स्थिति नही रखी जा सकती है। इसके अतिरिक्त द्वितीय नामान्तरण प्रार्थना पत्र की विधितः ग्राह्यता एवं उसके प्रभाव जिसका न्यायिक संज्ञान उनके द्वारा पूर्व में नही लिया गया है, का भी विश्लेषण एवं विवेचन उनके द्वारा आवश्यक है जिस हेतु निगरानी विद्वान अपर आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, कैम्प देहरादून को प्रति प्रेषित किया जाना समीचीन है।

## आदेश

निगरानी उपर्युक्त के आलोक में स्वीकार कर आक्षेपित आदेश दिनांक 27–07–2015 को अपास्त कर प्रकरण निगरानी विद्वान अपर आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, कैम्प देहरादून प्रति प्रेषित किया जाता है कि वे उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निगरानी का नये सिरे से गुण–दोष के आधार पर विधिसम्मत निस्तारण करें।

(पी0एस0जंगपांगी)
सदस्य(न्यायिक)

आज दिनांक 16–05–2016 को खुले न्यायालय में उद्घोषित, हस्ताक्षरित एवं दिनांकित।

(पी0एस0जंगपांगी)
सदस्य(न्यायिक)